

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: नवजात शिशु देखभाल कक्ष

बजट/एफ०एम०आर०शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): नवजात शिशु देखभाल कक्ष का परिचालन लागत

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर):

A.2.2.1A

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राज्य में कुल 452 नवजात शिशु देखभाल कक्ष कार्यरत हैं। जिसके लिये प्रति NBCC `20000/- आवंटित की जा रही है। इसके अंतर्गत संबंधित वैसे उपकरणों के रखरखाव, जिसका वारंटी एवं AMC(Annual Maintainance Contract) समाप्त हो गया हो तथा यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मति हेतु का परिवहन आदि एवं नवजात शिशु देखभाल कक्ष के संचालन हेतु आवश्यक Consumables गतिविधियों में इसका व्यय किया जाएगा।

इकाई राशि (रु० में) :20000/NBCC

वित्तीय दिशा निर्देश : जिला स्वास्थ्य समिति उन्हीं स्वास्थ्य संस्थानों को यह राशि आवंटित करेगी जहां NBCC कार्यरत है। किसी भी परिस्थिति में इस राशि को जिला स्तर पर आवंटित नहीं किया जाएगा। इस गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,